FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

IIF-R1.11 00

1. District: STATE VIG BUREAU   P.S.: SVB AMBALA   Year: 2013   FIR No.: 7   Date: 31-07-2013

2. Act(s): | Section(s):
(i) PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 7
13 रजाड की गई
(ii)
(iii)
(iv)

3. Occurrence of Offence:
(a) Day: Wednesday   Date From: 31-07-2013   Date To: 31-07-2013
Time Period: Time From: 09:15 hrs   Time To: 11:30 hrs
(b) Information received at P.S: Date: 31-07-2013   Time: 11:30 hrs
(c) General Diary Reference: Entry No.: 7   Time: 11:30 hrs

4. Type of Information: WRITTEN

5. Place of Occurrence:
(a) Direction and Distance from P.S: South-West/80.0 Km.   Beat No.:
(b) Address: WAKF BOARD OFFICE KAITHAL, KAITHAL
(c) In case, Outside the limit of the Police Station:
Name of P.S: District:

6. Complainant/Informant:
(a) Name: TEK CHAND (S/O) SHYAM LAL
(b) Birth Year: Nationality: INDIA
(c) Passport No.   Date of Issue: Place of Issue:
(d) Occupation:
(e) Address: WARD NO 1 INDIRA NAGAR PUNDRI DISTT KAITHAL

7. Details of Known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary):
(i) EO WAKF BOARD KAITHAL
(R/O)OFFICE OF WAKF BOARD KAITHAL
(ii)

(iii)

Reg. No. 2 7
Reg. No. 4
Reg. No. 6
Reg. No. 9-III
Reg. No. 9-II
Reg. No. 11
Reg. No. 12
Reg. No. 19 14/8/13
Reg. No. 21 8 FSL 2-8-13
Reg. No. 23

8. Reason for delay in reporting by the complainant/informant:

9. Particulars of the properties stolen/involved(attach separate sheet if necessary):

Sl.No.	Property Type(Description)	Est. Value(Rs.)	Status
(i)			
(ii)			
(iii)			

10. Total value of property stolen:

Seen
ADGP/SVB/GGN

थाना राज्य चौकसी ब्यूरो
Date.....................

District: STATE VIG BUREAU **P.S.:** SVB AMBALA **Year:** 2013 **FIR No.:** 7 **Date:** 31-07-2013

F.I.R Contents(attach separate sheet,if required):

नकल लेख निम्नलिखित है सेवा में, इन्सपैक्टर विजिलैन्स कैथल श्रीमान जी, निवेदन यह है कि मैं टेकचन्द पुत्र श्री श्याम लाल वार्ड न० 1 इन्दिरा नगर पूण्डरी का रहने वाला हूँ। पूण्डरी में पाई रोड पर मेरा एक प्लाट है जो कि मेरी पत्नी केला देवी के नाम है। इस प्लाट के साथ ही करीब 30 वर्ग गज जगह वक्फ बोर्ड की है। जिसकी मैने 1992 में बक्फ बोर्ड कैथल के दफ्तर से अपने नाम अलाटमैन्ट करवाई थी। जिसका मैं 1997 तक 180/- रुपये सालाना किराया भरता रहा लेकिन उसके बाद किन्ही कारणों से मैं किराया जमा नही करवा सका। करीब 6/7 महिने पहले मैं वक्फ बोर्ड कैथल के दफ्तर में किराया जमा करवाने के लिए गया तो वक्फ बोर्ड के E.O ने मुझे कुछ दस्तावेज पूरे करवाने के लिए कहा तथा 10000/- रुपये खर्चा बतलाया और कहा की फाईल तैयार करवाकर मेरे दफ्तर में दे जाना। अगर मैं ना मिलूं तो नियाज कलर्क को 10000/- रुपये व फाईल दे जाना E.O के बतलाये अनुसार मैने सभी कागज तैयार करवाकर फाईल वक्फ बोर्ड के दफ्तर में जमा करवा दी और नियाज को 5000/- रुपये दे दिये तथा अपनी फाईल पर अपना फोन नम्बर 94662-94009 भी लिख दिया। उस दिन E.O साहब नही मिला था। उसके अगले दिन मैंने E.O को फोन करके कहा कि मैं 5000/- रुपये व फाईल नियाज कलर्क को दे आया हूँ। तभी E.O ने कहा कि मैं आपकी फाईल जल्दी ही अम्बाला भेज दूंगा। उसके बाद मैं बार-2 वक्फ बोर्ड दफ्तर के चक्कर लगाता रहा लेकिन E.O कुछ ना कुछ बहाने लगाकर मुझे टालता रहा करीब 2/ 2-1/2 महीने पहले मेरे पास E.O के मोबाईल से फोन आया जिसने मुझे कहा कि वह पाई रोड पूण्डरी में पलाट के पास ही खडा है। जहाँ पर इन्टे पड़ी हुई है। इस पलाट पर कोई CONSTRUCTION नही करनी है। आप कैथल आकर मेरे दफ्तर में मुझे मिलें। उसी दिन मैं कैथल दफ्तर में जाकर E.O से मिला तो E.O ने मुझे कहा कि इस के तो कम से कम 5 लाख रुपये लगेंगें। तो मैने कहा जनाब पहले तो आपने केवल 10000/- रुपये कहा था अब इतने पैसे कैसे लगेंगें। फिर कहने लगे अलाटमैन्ट करानी है तो इतने पैसे तो लगेंगे ही और मुझे बार-2 यह कह कर डराते रहे कि मेरे पास तो मेरे आला अफसरों के फोन आ रहे है कि या तो 5,00,000/- रुपये वसूलों नहीं तो अलाटमैन्ट कैन्सल कर दो। और हमारे बन्दो के नाम कर दो काफी ज्यादा खुशामद करने व बार -2 कहने के बाद कहा कि 1,75,000/- रुपये तो कम से कम जरुर लगेंगें इससे कम नही हो सकते। अपनी मजबूरी को देखते हुए मैने हाँ भर ली और 10/12 दिन बाद मैं एक लाख रुपये E.O को उसके दफ्तर में दे गया तब मैने कहा कि बाकी पैसे फाईल मन्जूर होने के बाद दूंगा और मैं बार-2 फोन करता रहा तो एक दिन E.O ने फोन करके कहा कि तेरी फाईल अम्बाला से मन्जूर होकर आ गई है। बाकी पेमैंन्ट लेकर आओ तो मैने कहा मैं एक मुश्त सारे पैसे नही दे सकता 4/5 दिन बाद मैने E.O को फोन करके कहा कि मेरे पास कुछ पैसे तैयार है। तभी E.O ने पूछा कि कितने पैसे है। मैंने कहा 17000/- रुपये (सत्रह हजार रुपये) हैं तभी E.O ने कहा कि रोकी शर्मा हाबडी वाला जो सब्जी मन्डी पूण्डरी के पास प्रोपर्टी डीलर की दुकान करता है। उससे मोबाईल पर बात करना मैं उसको अभी फोन करके कहता हूँ। तभी थोडी देर बाद रोकी शर्मा आ गया और कैथल चलने को कहने लगा तभी रोकी शर्मा ने मुझे कहा कि पहले E.O साहब से फोन करके पता कर लेते है वे वहां हैं भी के नही और रोकी शर्मा ने अपने मोबाईल से E.O के मोबाईल पर बात की और मेरे से भी बात करवाई तो E.O साहब कहने लगे कि मैं बाहर चला गया हूँ आप 17000/- रुपये रोकी शर्मा को दे दो मैं उससे अपने आप ले लूंगा। मैने 17000/- रुपये उसी समय रोकी शर्मा को दे दिये अगले दिन मैं वक्फ बोर्ड के दफ्तर में गया लेकिन E.O मुझे वहां पर नही मिला मैने फोन करके E.O से पूछा कि क्या आपको 17000/- रुपये मिल गये है। तो उन्होने कहा हाँ मेरे पास आ गये है। और जब मैने अपनी फाईल के बारे में पूछा तो पहले पूरी पेमैन्ट दो तथा लीज एग्रीमैन्ट के लिए 50/- का स्टाम्प पेपर व 2 पक्के कागज अपने नाम से लेकर आओ। उसी दिन मैंने कैथल कोर्ट से अपने नाम 50/- रुपये के स्टाम्प पेपर व 2 पक्के कागज खरीद कर वक्फ बोर्ड दफ्तर में E.O को दे दिये। और कहने लगा कि पूरी पेमैन्ट देने के बाद आपकी रसीद कटेगी और अलाटमैन्ट के कागज मिलेगें। 3-4 दिन बाद फिर E.O को मिला तो कहने लगे कि 58000/- रुपये बाकी है वो लेकर आओ तो मैने कहा जनाब 1,75,000/- रुपये में से 5000/- हजार रुपये नियाज को ,100000/- (एक लाख रुपये) आपको देकर गया था 17000/- (सत्राह हजार रुपये) आपने कहकर रोकी शर्मा को दिलवाये थे इस प्रकार मैं अब तक कुल 1,22,000/-दे चुका हूँ अब तो 53000/- हजार रुपये बाकी बचते है। तो E.O कहने लगा कि अच्छा ¾ दिन के अन्दर -अन्दर 53000/- रुपये लाकर दे दो नही तो तेरी फाईल वापिस अम्बाला भेज दूगां। तुझे 50,000/- रुपये और अधिक देने पड़ेगें। मेरे हिसाब से 15 वर्षो का बकाया किराया लगभग से 3000/- रुपये से ज्यादा नही बनेगा तथा अलाटमैन्ट की फीस आदि लगाकर 10000/- रुपये से ज्यादा नही बनेगें जो पैसे E.O ने लिये है और जो बाकी 53000/- रुपये मांग रहा है। वह अपने लिये रिश्वत के तौर पर ही मांग रहा है। मैं उसे रिश्वत नही देना चाहता और उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। उसके खिलाफ कानूनी कारवाई की जावे। मैंने 53000/- रुपये का इन्तजाम करके अपने साथ लेकर आया हूँ। प्रार्थी हस्ताः- TEK CHAND SAINI M-94662-94009 कार्यवाही पुलिसः- आज मन निरीक्षक मय मुलाजमान अपने कार्यालय में हाजिर हूँ कि मुदई टेक चन्द उपरोक्त ने अपनी दरखास्त हजा वक्फ बोर्ड कैथल के E.O के खिलाफ उसकी पत्नी के पलाट के साथ लगती वक्फ बोर्ड की करीब 30 वर्ग गज जमीन को उसके नाम अलाटमैन्ट करवाये जाने कि ऐवज में 53000/- रिश्वत मांगे जाने बारे पेश की व 1000/1000 रुपये वाले 53 नोट कमश(1) 0CG 878087(2) 0AF 123369 (3) 1BD 739124 (4) 1 C K 432654 (5) 1 C K 306760 (6) 1 DE 285943 (7) 2 AA 321510 (8) 2 EM 715806 (9) 2 AM 036558 (10) 2 AA 391983 (11) 2 AU 278021 (12) 2AK 815475 (13) 2 CP 448342 (14) 2CB 881335 (15) 2 CK 178704 (16) 2 AU 283958 (17) 2 EK 248993 (18) 2BP 999927 (19) 2 DK 781387 (20) 3 AN 496338 (21) 3 AQ 359112 (22) 3 AQ 359113 (23) 3AS 472141 (24) 3AQ 359111(25) 3AD 264729 (26) 3AD 264737 (27) 3 DE 248055 (28) 3DA 893233 (29) 3 EK 294381(30) 4AW 115226 (31) 4AV 966604 (32) 4CR 054319 (33) 4AF 841446 (34) 4 DE 885016 (35) 4 BQ 494564 (36) 4 DG 762631(37) 5 AP 769571 (38) 5 FB 233498 (39) 5 AD 506057 (40) 5 FH 503989 (41) 6 AE 485935 (42) 6 AE 286448 (43) 6 AM 417385 (44) 6 DL 976851 (45) 7 CH 072378 (46) 7 AT 457484 (47) 7 BM 375040 (48) 8 AU 611268 (49) 8 DG 782001 (50) 8 AR 944415 (51) 9 BB 819418 (52) 9 AF 151380 (53) 9 CN 294068 कुल 53000/- रुपये पेश किये जिनको अलग से सूचि नोट तैयार करके कब्जा पुलिस में लिया। सूची नोट पर मुदई ने अपने हस्ताक्षर किये। मजबून दरखास्त से सुरत जुर्म 7 पी. सी. एक्ट का होना पाया जाने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त EHC जयप्रकाश 885/KKR सेवा में भेजी जा रही है। मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके नकल

थाना राज्य चौकसी ब्यूरो
Date.................

मिशल पुलिस मय असल तहरीर बदस्त आरिन्दा EHC मन निरीक्षक के पास भिजवाई जावें। स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मजिस्ट्रेट व अफसरान बाला की सेवा में भिजवाई जावे। मन निरीक्षक मय ASI राम सिहं, ASI भीम सिहं, HC हिम्मत सिहं 99/ KNL, सि० संजय कुमार 532/PKL, सिपाही सुशील कुमार 370 /KKR कम्पयुटर ऑपरेटर मय लैपटाप व मुदई टेक चन्द को साथ लेकर बा सवारी गाडी सरकारी न० एच आर 37 बी 8686 चालक HC मलकीयत सिहं 848/जीन्द के बराये करवाने नियुक्त डियूटी मैजिस्ट्रेट व ईजाजत रेड कार्यालय उपायुक्त कैथल का होता हूँ। तफ्तीशी बैग हमरा लिया गया है। अज SVB यूनिट कैथल हस्ताः रणबीर सिहं निरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा उप केन्द्र कैथल 31-07-13 AT 9: 15 AM अज थाना:--SVB अम्बाला बा हवाला रपट नम्बर 07 दिनांक 31-07-13 समय 11-30 A.M. पर उपरोक्त तहरीर बदस्त EHC जयप्रकाश 885 KKR SVB UNIT KTL बाबत मांगने रिश्वत बर खिलाफ E.O. वक्फ बोर्ड कैथल, के खिलाफ बा जुर्म 7 P.C. ACT 1988 थाना में प्राप्त हुई जिस पर मुकदमा नम्बर 7 दिनाकं 31-07-2013 धारा 7 P.C. ACT 1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला दर्ज रजि० किया जाकर प्रथम सुचना रिपोर्ट की प्रति बतौर स्पैशल रिपोर्ट मय असल तहरीर आईन्दा EHC जयप्रकाश 885 KKR के ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब कैथल भेज कर हिदायत दी गई की पहले स्पैशल रिपोर्ट देकर फिर नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर बर मौका अनुसंधान अधिकारी के पास जाएगा। प्रथम सुचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां उच्च अधिकारियो की सेवा में अलग से भेजी जा रही है। इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया।

13. Action Taken(Since the above information reveals commission of offence(s)u/s as mentioned at item No.2:

(i) Registered the case and took up the investigation OR

(ii) Directed(Name of the I.O): RANBIR SINGH Rank: INSP
No.: 00022034 to take up the investigation, OR

(iii) Refused investigation due to: OR

(iv) Transferred to P.S(name): District:
on point of jurisdiction.

F.I.R read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:

R.O.A.C:

14. Signature / Thumb Impression of The Complainant/Informant:

महावीर सिंह
Signature of Officer
Name: MAHAVIR SINGH
Rank: INSP No.: 00022990

15. Date and Time of despatch to the court:

थाना राज्य चौकसी ब्यूरो
Date..........................
अम्बाला ... 1, अम्बाला